फैक्स / महत्वपूर्ण

संख्या– 1071 / छ:वीजा–4–2015– /

प्रेषक,

देबाशीष पण्डा,
प्रमुख सचिव, गृह विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1– समस्त पुलिस महानिरीक्षक (जोन), उत्तर प्रदेश।

2– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

गृह (वीजा) अनुभाग–4 लखनऊ: दिनांक: 07 जुलाई, 2015 ।

विषय:–अप्रवासी भारतीयों के विरुद्ध पंजीकृत होने वाली प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश के प्रवासी भारतीयों को विदेश में रहते हुये उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश में पंजीकृत होने वाले मुकदमों से होने वाली असुविधाओं के सन्दर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि **विश्व में उत्तर प्रदेश के अप्रवासी भारतीयों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश के पुलिस थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज करने से पूर्व प्रकरण को सम्बन्धित जोन के पुलिस महानिरीक्षक के संज्ञान में अवश्य लाया जाय।**

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(देबाशीष पण्डा)
प्रमुख सचिव,
गृह विभाग।

संख्या– 1071 (1)क / छ:वीजा–4–2015, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– प्रमुख सचिव, एन0आर0आई0 विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2– पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3– गृह (पुलिस) अनुभाग–3 / 4 / 11 / 12 एवं 14 ।

आज्ञा से,

(अजय बाजपेयी)
अनुसचिव।